/

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: R-071 /05–जी0डी0/2021, दिनांक : 08/10/2021.

विषय: उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 30(2) के तहत मिनजुमला गाटों के विभाजन की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा 30(2) के तहत मिनजुमला गाटों के विभाजन के संबंध में यह प्राविधान है कि *"मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।"*

2– मिलजुमला गाटों के विभाजन की स्कीम के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम 26 में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है–

(1) परिषद, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निदेश देगा कि मिनजुमला गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जायेगा और राजस्व अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जायेंगे।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिये मिनजुमला भूखण्डों की एक विभाजन स्कीम तैयार करायेगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम 26 के उपनियम (3) लगायत उपनियम (12) तक मिनजुमला गाटो के विभाजन स्कीम के संबंध में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है।

3– सूच्य है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 (2) के तहत राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य वर्ष 2017 से निरन्तर प्रक्रियाधीन है।

4– उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के जिन राजस्व ग्रामों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर उन ग्रामों में यथानियम मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन की स्कीम तैयार कराते हुए तद्नुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित कराने का कष्ट करें तथा भविष्य में क्रमशः जिन राजस्व ग्रामों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण होता जाये, उन ग्रामों में मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन की स्कीम तैयार कराकर तद्नुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित कराते हुये कृत कार्यवाही से परिषद को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त।

3– प्रभारी अधिकारी, अनुभाग–4 (भूलेख / मैप), राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया भू–अभिलेखों के अद्यतन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।

4– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस पत्र की मूलप्रति राजस्व परिषद उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

5– गार्ड फाइल हेतु।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।